

निर्णय

दिनांक :- 11/02/2020

पत्रावली पेश हुई दिनांक 23.03.2018 को कायम मूकाम करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण हरबंशसिंह वगेरा के द्वारा अपने प्रस्तुत किये हुए प्रार्थना-पत्र में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण की माता का दिनांक 11.06.2016 को स्वर्गवास हो चुका है जिनका मृत्यु प्रमाण-पत्र व वारीस प्रमाण-पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया हुआ है प्रार्थीगण को जैसे ही अपनी माता द्वारा पेश किये हुए दावा व प्रार्थना-पत्र 212 आर टी ए के बारे में पता चला पता चलते ही अपना प्रार्थना-पत्र पेश कर दिया गया है प्रार्थीगण के हित जैर प्रकरण में अकिंत भूमि में निहित है। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त जैरप्रकरण में उनकी स्वर्गीय माता के स्थान पर कायम मूकाम करने का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए बहस में निवेदन किया की प्रार्थीगण की माता के द्वारा उक्त अनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2015 को पेश किया गया था जिनका दिनांक 11.06.2016 को स्वर्गवास हो गया जो स्वयं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र व वारीस प्रमाण पत्र से पूर्णतः साबीत है। प्रार्थीगण की माता जोगेन्द्रकौर के स्वर्ग सिधारने और 90 दिवस की अविध के व्यतीत होते ही उक्त प्रकरण स्वत ही उक्शमित हो चुका है। प्रार्थीगण के द्वारा जान बुझ कर उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में किस कारण से जानकारी नहीं हुई का कारण अकिंत नहीं किया है। विलम्ब को क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रकरण में जारी स्थान आदेश का प्रयोग अदालतों में किया जाता रहा है। प्रार्थीगण में से हरबंशसिंह स्वयं हर तारीख पैशी पर हाजीर होता रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त अनवान के प्रकरण में हुए उपशमन को निरस्त किये जाने का अनुतोष अपने प्रार्थना-पत्र में भी नहीं मांगा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण स्वतः ही उपशमित हो चुका है इस कारण से उक्त अनवान का प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करते हुए निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने के पश्चात उसपर मनन करते हुए पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्त अनवान का प्रकरण अर्न्तगत धारा 88, 53, 188 व 209 और साथ में प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज0 का0 अधिनियम का माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2015 का पेश किया हुआ है। जिसमें दिनांक 23.03.2018 को प्रार्थीगण हरबंशसिंह वगेरा के द्वारा कायम मूकाम करने का प्रार्थना-पत्र पेश किया है मूताबिक प्रार्थना-पत्र व साथ में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र, वारीस प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रार्थीगण की माता जोगेन्द्रकौर का दिनांक 11.06.2016 को स्वर्गवास हो चुका है व्यवहार प्रक्रिया सहिता के आदेश 22 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रकरण में अकेले वादी/ प्रार्थी जोगेन्द्रकौर होने और उसकी मृत्यु होते ही वाद पत्र/स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वतः की उपशमित हो गया है। इसके उपशमन के पश्चात उपशमन को निरस्त करवाने बाबत प्रार्थीगण के द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मात्र कायम मूकाम का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है जिसमें उक्त प्रकरण में पूर्व में जानकारी न होने का कोई कारण अकिंत नहीं किया है

(2)

और उन्हे कहां से जानकारी हुई यह भी अकिंत नही किया गया है। ना ही प्रार्थना-पत्र 90 दिन के पश्चात 2 वर्ष 6 माह बाद पेश किये जाने मे हुऐ विलम्ब को क्षमा करवाने बाबत पेश किया गया है। जो की पत्रावली के अवलोकन से पूर्णता साबित है। उक्त अनवान के प्रकरण मे अकिंत वादी/ प्रार्थी के स्वर्ग सिधारते ही प्रकरण उपशमित हो चुका है। जिसे निरस्त करवाने का प्रार्थीगण द्वारा कोई निवेदन नही किया गया है केवल मात्र कायम मूकाम का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है। जिसमे विलम्ब को क्षमा करवाने का ना तो निवेदन किया है एव ना ही विलम्ब होने का कारण अकिंत किया है। उक्त प्रकरण मे उपशमन को निरस्त करवाये बीना नियमानुसार प्रार्थीगण को यह अनुतोष प्राप्त करने के कानुनी रूप से अधिकारी नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र निरस्त करते हुऐ उक्त प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.03.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करते हुऐ प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया जोगेन्द्रकोर के फोट होने पर स्वतःही उपशमित हो चुकने से यह निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर की जावे।

आज दिनांक.....11/02/2020..... को मेरे द्वारा यह निर्णय उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति मे सुनवाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ़।

